

अपील क्रमांक 203/बो.प्र./नि.स./2024/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /07/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 203/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी

श्री डेविड कुमार कुर्रे,
ग्राम व पो. सरखेड़ा, थाना औंधी,
तहसील औंधी,,
जिला : मोहला-मानपुर-चौकी (छ.ग.)
मो.नं. 7587144741

विरुद्ध

उत्तरवादी

श्री रविकांत साहू
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.07.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डेविड कुमार कुर्रे द्वारा दिनांक 24.06.2024 को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र, इस कार्यालय में दिनांक 25.07.2024 को प्राप्त अपील की सुनवायी आज दिनांक 29.07.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 2.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 1. आपके विभाग में ट्रेसर (सिविल) के वर्तमान में कितने पद रिक्त है। 2. ट्रेसर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। 3. असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के कितने पद रिक्त हैं। 4. पिछले बार ट्रेसर एवं ड्राफ्टमैन का भर्ती कब हुआ है संबंधी जानकारी की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 26.05.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220240526002411 दिनांक 26.05.2024 को प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 24.06.2024 को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र इस कार्यालय में दि. 25.07.2024 को प्राप्त अपील के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.07.2024 को समय दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट से, इमेल से तथा व्हाट्सअप के माध्यम से सूचित किया गया।
3. सुनवाई दिनांक 29.07.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी तथा बिन्दु क्रमांक 1 की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

.....2

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220240526002411 दिनांक 26.05.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 29.05.2024 को प्रस्तुत की गयी। उक्त नस्ती स्थापना कक्ष से इस कक्ष को दिनांक 20.06.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 16 पृष्ठों में समाहित है। आवेदक/अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/106/छ.ग./2024/ 5019, दि. 24.06.2024 द्वारा आवेदन में वांछित जानकारी कुल 16 पृष्ठों में सत्यापित कर, गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण निःशुल्क प्रदाय किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 1. आपके विभाग में ट्रेसर (सिविल) के वर्तमान में कितने पद रिक्त है से संबंधित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित 16 पृष्ठों की जानकारी में नहीं दी गयी है? तत्संबंध में अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रदत्त 16 पृष्ठों की जानकारी का परीक्षण किया गया।

6. अपीलार्थी ने अपने आवेदन में 4 बिन्दुओं की जानकारी प्रश्नात्मक रूप में मांगी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान किये जाने में, जनसूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे आवेदक के आवेदन का निराकरण प्रश्न उत्तर के रूप में करें। अधिनियम में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी निर्देशों/परिपत्रों में निहित निर्देश अनुसार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन में वांछित जानकारी उसी रूप में आवेदक को प्रदान की जावे, जिस रूप में जानकारी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में संधारित हो।

7. अपीलार्थी को प्रदान की गयी 16 पृष्ठों की जानकारी का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि आवेदक को बिन्दु क्रमांक 1 एवं 3 की जानकारी के रूप में जन सूचना अधिकारी ने विभाग द्वारा दि. 01.04.2024 की स्थिति में जारी मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार एवं अनुरेखक की पदक्रम सूची की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी है। अनुरेखक पदनाम का ही अंग्रेजी में ट्रेसर (आवेदक के आवेदन में वांछित) पदनाम निहित है एवं सहायक मानचित्रकार पदनाम का ही अंग्रेजी में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन (आवेदक के आवेदन में वांछित) पदनाम निहित है। पदक्रम सूची के प्रथम पृष्ठ में ही विभाग के स्वीकृत सेटअप अनुसार अनुरेखक (ट्रेसर) के 134 पद स्वीकृत हैं एवं दिनांक 01.04.2024 मे कार्यरत पदक्रम सूची के पृष्ठ 7 से 11 अनुसार 71 अनुरेखक (ट्रेसर) कार्यरत हैं। इसी प्रकार पदक्रम सूची के प्रथम पृष्ठ में ही विभाग के स्वीकृत सेटअप अनुसार सहायक मानचित्रकार के 94 पद स्वीकृत हैं एवं दिनांक 01.04.2024 मे कार्यरत पदक्रम सूची के पृष्ठ 2 से 6 अनुसार 81 सहायक मानचित्रकार कार्यरत हैं। जिसके आधार पर आवेदक रिक्त पदों की गणना स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को उनके आवेदन के बिन्दु क्रमांक 1. विभाग में ट्रेसर (सिविल) के वर्तमान में कितने पद रिक्त है तथा बिन्दु क्रमांक 3. असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के कितने पद रिक्त है, के संबंध में लोक प्राधिकारी द्वारा धारित पदक्रम सूची के रूप में दी गयी जानकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत है।


8. प्रकरण का न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्रमांक 1. विभाग में ट्रेसर (सिविल) के वर्तमान में कितने पद रिक्त है तथा बिन्दु क्रमांक 3. असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के कितने पद रिक्त है, के संबंध जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध विभाग के स्वीकृत सेटअप तथा दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में विभाग में कार्यरत पदक्रम सूची आनलाइन <https://cgwrd.in/organisation/setup>, <http://www.cgwrd.in/organisation/gradation-list> का अवलोकन कर गणना कर प्राप्त कर सकते हैं।

9. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

1. उत्तरवादी पक्ष अर्थात् जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित 4 बिन्दुओं की जानकारी में, इस कार्यालय लोक प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में उपलब्ध 16 पृष्ठों की प्रदान की गयी निःशुल्क जानकारी पूर्णतः सही है एवं अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत है। फिर भी प्रकरण के न्याय संगत निराकरण की दृष्टि से प्रदान की गयी 16 पृष्ठों की जानकारी के परीक्षण अनुसार पदक्रम सूची के प्रथम पृष्ठ में विभाग के स्वीकृत सेटअप अनुसार अनुरेखक (ट्रेसर) के 134 पद स्वीकृत हैं एवं दिनांक 01.04.2024 में कार्यरत पदक्रम सूची के पृष्ठ 7 से 11 अनुसार 71 अनुरेखक (ट्रेसर) कार्यरत हैं, इस प्रकार दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अनुरेखक (ट्रेसर) के 63 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार पदक्रम सूची के प्रथम पृष्ठ में विभाग के स्वीकृत सेटअप अनुसार सहायक मानचित्रकार के 94 पद स्वीकृत हैं एवं दिनांक 01.04.2024 में कार्यरत पदक्रम सूची के पृष्ठ 2 से 6 अनुसार 81 सहायक मानचित्रकार कार्यरत हैं, इस प्रकार दि. 01.04.2024 की स्थिति में सहायक मानचित्रकार (असिस्टेंट ड्राफ्टमैन) के 13 पद रिक्त हैं।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in पर अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्र. 1. विभाग में ट्रेसर (सिविल) के वर्तमान में कितने पद रिक्त है तथा बिन्दु क्र. 3. असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के कितने पद रिक्त है, के संबंध जानकारी विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध विभाग के स्वीकृत सेटअप तथा दि. 01.04.2024 की स्थिति में विभाग में कार्यरत पदक्रम सूची आनलाइन <https://cgwrd.in/organisation/setup>, <http://www.cgwrd.in/organisation/gradation-list> का अवलोकन कर गणना कर प्राप्त कर सकते हैं।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।


(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पू.क्रं./203/बो.प्र./नि.स./2024/ 6363

नवा रायपुर, दिनांक 29/7/2024

प्रतिलिपि:-

1. ✓ अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डेविड कुमार कुर्रे, ग्राम व पो. सरखेड़ा, थाना औंधी, तहसील औंधी, जिला : मोहला-मानपुर-चौकी (छ. ग.) पिन 491001, मो.नं. 7587144741, email id - kurreurmila9@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Kurral
29/7/24

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)